

तारीख हुकम

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुकम की तामील
में जारी हुए।

पुष्पी होती है कि: रानी नामा रजुमाल वडि डिडी क्रमा
जुन डिपित जती मेता कि मत वापी लं प्रतिवारीगत
नं 3, 5, 6 कर प्रकृत रानी नामा रजुमाल डिडी क्रमा
जाता है

आदेश

वापी लं प्रतिवारीगत नं. 3, 5, 6 वल
प्रति रानी नामा रजुमाल वडि ग्राम - पलाटिया परवार
हल्का मूलका प्र. नं. 10 डिडी क्रमा रजुमाल लदील
शाहपुरा जिला नीलका के कानूनी खण्ड नं. 428
रकबा 0.0200 हे. वि. म. म. व रानी नामा
प. 44 रकबा 0.6100 हे. वि. म. म. में वापी को 1/2
हिस्से का उत्तराधिकार जोड़ित किया जाता है
उनी रजुमाल रजुमाल रजुमाल नं वापी से वापी रजुमाल
रजुमाल को जोड़े डिडी रजुमाल व
पुस्तक में रजुमाल रजुमाल रजुमाल के म. म.
लेकल रजुमाल रजुमाल व


उपस्थ अधिकारी
एवं सहायक कलेक्टर
शाहपुरा, जिला- नीलवाडा (राज.)

दिनांक 10/11/25 (दिनांक) जो
हुकम जारी है 12 म. म. म.


उपस्थ अधिकारी
एवं सहायक कलेक्टर
शाहपुरा जिला- नीलवाडा (राज.)

डिक्री व मुकदमा इब्तदाई

(आर्डर 20 नियम 6-7 जाप्ता दिवानी)

अज अदालत सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, शाहपुरा जिला भीलवाड़ा (राज0)
बईजलास सुनील कुमार गीणा, (आर0ए0एरा0) उपखण्ड अधिकारी

उगवान

बद्री पिता पन्ना जाट निवासी चलानिया तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा

- वादी

बनाम

- 1- राजस्थान सरकार, जरिये श्रीमान जिलाधीश महोदय भीलवाड़ा
- 2- तहसीलदार शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
- 3- रामस्वरूप पुत्र सूरजमल निवासी भीमनगर तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
- 4- जगदीश पुत्र सूरजमल निवासी भीमनगर तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
- 5- रामदयाल पुत्र सूरजमल निवासी भीमनगर तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
- 6- मु. उच्छबी बेवा सूरजमल निवासी भीमनगर तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा

- प्रतिवादीगण

वाद पत्र बाबत खातेदारी घोषणा व नामान्तरण निरस्त करने व स्थायी निषेधाज्ञा हेतु

मुकदमा नम्बर 02/2011 राजस्व वाद

यह मुकदमा अज वास्ते इनफिसल कतई रुबरू अदालत व हिजरी वकील वादी मिनजानिब मुदई व
.....X मिनजानिब मुदायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है। डिक्री दी
जाती है कि :-

वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 03, 05, 06 द्वारा प्रस्तुत राजीनामा अनुसार वाके ग्राम
चलानिया पटवार हल्का लूलास भू0अ0निरीक्षक क्षेत्र लूलास तसहील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा के
आराजी खसरा नम्बर 428 रकबा 0.0200 है0 किस्म गेमु. आचा. एवं आराजी नम्बर 464 रकबा 0.
6100 है0 किस्म चाही द्वितीय में वादी को 1/2 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता
है। उसी अनुसार भूमि राजस्व रेकार्ड में वादी के नाम दर्ज रेकार्ड की जावे।

निज मुबलिग, बाबत खर्चा, इस मुकदमें में सूद शहर फौसदी सालाना आज तारीख से तारीख
व सूलयाबी तक अदा करे।

बाबत मेरे दस्तखत व मोहर से आज तारीख 10 माह 11 सन् 2025 को जारी की गई।



(सुनील कुमार गीणा)
उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलेक्टर, शाहपुरा